डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-५०५/डब्ल्यु.पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन १२२ (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101] भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 मार्च 1988—फाल्गुन 19, शके 1909

आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 1988

क्र. 1481-1473-बत्तीस-88.—वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का सं. 14) की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 6089-2759-बत्तीस-84, दिनांक 4 जून 1984 तथा क्र. 3481-3442-बत्तीस-85, दिनांक 18 जुलाई 1985 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, राज्य प्रदूषण निवारण मण्डल से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करती है.

राज्य सरकार 31 मई 1988 को ऐसी तारीख के रूप में भी विनिर्दिष्ट करती है जिसको या जिसके पूर्व ऐसे उद्योग, जो पूर्व में घोषित किए गए प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते, उक्त अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन सम्मति के लिए आवेदन कर सकेंगे.

No. 1481-1473-XXXII-88.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981) and in supersession of this Department Notification No. 6089-2759-XXXII-84, dated the 4th June 1984 and No. 3481-3442-XXXII-85, dated the 18th July 1985, the State Government, after consultation with the State Pradushan Nivaran Board, hereby declares the whole State of Madhya Pradesh as Pollution Control Area for the purposes of the said Act.

The State Government further specifies 31st May 1988 as the date on or before which such industries which did not fall under the Pollution Control area declared earlier may make application for consent under sub-section (2) of Section 21 of the said Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रंजना चौधरी, अपर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1988.